वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–4
(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा कटघोरा वन मंडल अंतर्गत भा.रा.रा. संख्या 111 (नया 130) के बिलासपुर–कटघोरा सेक्शन के अन्तर्गत पथरापाली से कटघोरा (कि.मी. 53.300 से कि.मी. 92.500, पैकेज–2) के सड़क फोरलेन चौड़ीकरण हेतु नारंगी वन भूमि 17.240 हे., वनभूमि 37.309 हे. राजस्व वनभूमि 29.093 हे., कुल 83.6421 हे. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि 83.6421 हे. के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 07/12/2019
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू.प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–887/3060 रायपुर, दिनांक 07/12/2019

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for diversion of 83.6241 ha. forest for Rehabilitation and Upgrading to 4-Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh Pkg.II (Km. 53+300 to Km 62+500) – Pathrapali to Katghora, area – 83.6421 ha. – regarding.**
(पंजीयन क्र. FP/CG/Road/38519/2019)

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक./ 3108 दिनांक 05.12.2019

.00.

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा एवं वन मंडलाधिकारी, कटघोरा वन मंडल से प्राप्त कर अपनी अनुशंसा उपरांत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। नोड़ल अधिकारी कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ – 1 से 2) भा.रा.रा. संख्या 111 (नया 130) के बिलासपुर–कटघोरा सेक्शन के अन्तर्गत पथरापाली से कटघोरा (कि.मी. 53.300 से कि.मी. 92.500, पैकेज–2) के सड़क फोरलेन चौड़ीकरण हेतु 83.6421 हेक्ट. वनभूमि की मांग की गई है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ –3 से 4) – उक्त प्रकरण का रजिस्ट्रेशन क्रमांक – **FP/ CG**/Road/38519/2019 आबंटित किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क 6000/– एवं प्रोसेसिंग शुल्क 46000/– राशि का डी.डी.क्र. 179347 एवं 179348 दि. 12.02.19 को जमा किया गया है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ –5 से 9) – नारंगी वन भूमि 17.240 हे., वनभूमि 37.309 हे. राजस्व वनभूमि 29.093 हे. कुल 83.642 हे. है।

बि.क्र. 4. **गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ–10 से 11)** – भा.रा.रा. संख्या 111 (नया 130) के बिलासपुर–कटघोरा सेक्शन के अन्तर्गत पथरापाली से कटघोरा (कि.मी. 53.300 से कि.मी. 92.500, पैकेज–2) के सड़क फोरलेन चौड़ीकरण हेतु 148.363 हेक्ट. गैर वनभूमि अधिकृत की गई है।

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ –12 से 15) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सत्यापित सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव के अंतिम पृष्ठ–16 से 18) – वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 19 से 23) – प्रपत्र IV में प्रस्ताव संलग्न है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 24 से 30) – प्रोजेक्ट पर यूजर एजेंसी द्वारा दी गई विस्तृत टीप संलग्न है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 31 से 32) – संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 33 से 34) – यूजर एजेंसी द्वारा जारी किया गया न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 35 से 38) – यूजर एजेंसी ने भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.08.2013 की छाया प्रति संलग्न की है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 39 से 60) – प्रस्तावित क्षेत्र में 11299 वृक्ष खड़े है। विवरण संलग्न है।

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 61 से 66) – कास्ट बेनिफिट एनालिसिस संलग्न है। कास्ट बेनिफिट रेसियो 2.85 है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 67 से 90) – अधिकृत की गई भूमि का 3A अधिसूचना भारतीय राजपत्र संलग्न है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव 91 से 113) – नक्शा संलग्न हैं।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 114–186)– क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना अंतर्गत सिचिंत वृक्षारोपण का प्रस्ताव ग्राम–गुलीडांड तहसील–मरवाही जिला–बिलासपुर के संरक्षित वन भूमि कम्पार्टमेंट नं. 2021 एवं 2023 कुल रकबा 176.738 हे. भूमि पर प्रस्तावित किया गया है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 187 से 189) – संलग्न है ।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 190) – प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 191) – लागू नहीं ।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 191) – लागू नहीं।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 192) – केन्द्रीय सरकार की परियोजना है अतः गैर वन भूमि की अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 193) – आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 193) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 193) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 193) – यूजर एजेंसी का कथन है कि प्रस्तावित कार्य से कोई व्यक्ति / परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 194–207) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत आवेदित क्षेत्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं प्रपत्र 3 में प्रस्ताव पर भौतिक निरीक्षण के आधार पर गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा किया जाकर आवश्यक प्रपत्र भाग – 2 एवं 3 भरा गया है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 208) – प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास ऐतिहासिक स्थल नहीं होने का प्रमाण पत्र वन मंडलाधिकारी, कटघोरा वन मंडल द्वारा जारी किया गया है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 209 से 210) – रेखाकिंक परियोजना में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र दिनांक 28.10.2014 संलग्न किया गया है जिसके अनुसार प्रथम चरण की स्वीकृति में आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 211 से 212) – प्रस्ताव कटघोरा वन मंडल की कुल वन भूमि 4187.375 हे. है।

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 213) – स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि 4863.491 हे. है।

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 214) – स्वीकृत प्रकरणों मे प्रत्यावर्तित वन भूमि 382.344 हे. है।

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 215) – आवेदित वन भूमि के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कोरीडोर स्थित नहीं है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 216) – सड़क चौड़ीकरण से संबंधित है अतः 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों के चिन्हांकन की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 217 से 219) – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र दिनांक 28.02.2019 संलग्न किया गया है जिसके अनुसार प्रथम चरण की स्वीकृति में आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय आदेश के अनुसार वन अधिकार मान्यता का कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र स्टेज II के समय किया जा सकता है। मंत्रालय का आदेश तथा वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 220 से 224) – राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर कोरबा का 29.0931 हे. का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 23.10.2019 संलग्न है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 225 से 226) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 227 से 228) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 229) – आवश्यकता नहीं है इस बाबत् यूजर एजेन्सी का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 230) – वन भूमि में किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी एवं वन मंडलाधिकारी कटघोरा द्वारा दिया गया है ।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 231) – आवेदित वन क्षेत्र 500 हे. से कम है अतः वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 232 से 233) – आवेदक से पंजीयन शुल्क 6000/– एवं प्रोसेसिंग शुल्क 46000/– राशि का डी.डी.क्र. 179347 एवं 179348 दि. 12.02.19 को जमा किया गया जिसकी छाया प्रति भी पुष्टि हेतु लगा दी गई है। शेष विवरण बिन्दु क्रमांक 2 पर संलग्न है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 234) – वन मंडलाधिकारी कटघोरा द्वारा अभिमत दिया गया है कि इसकी आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 235) – प्रस्ताव विद्युत लाईन से संबंधित नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 236 से 317) – प्रकरण में सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये है प्रस्ताव में किसी भी प्रकार के अभिलेख की कमी नहीं है पत्र संलग्न है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा विषयांकित मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयीकरण कार्य की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए तथा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा उपरांत प्रथम चरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– 1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे 2 प्रतियों में
3. टाईम लाईन

अ.प्र.मु.व.सं. (भू–प्रबंध/व.सं.अ.)
छत्तीसगढ़

प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा अनुमोदित